

न्यायालय:-ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भिण्ड (म.प्र.)

आपराधिक प्रकरण क्र०-1714 / 2011

Filling No.230301008202011

संस्थापन दिनांक-12 / 12 / 2011

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा

पुलिस थाना-देहात, जिला-भिण्ड (म०प्र०)

..... अभियोजन

**// बनाम //**

1. पिकू उर्फ वीर सिंह पुत्र नरसिंह कुशवाह, उम्र-41 वर्ष,  
निवासी-ग्राम रोरा कोट, थाना-नयागांव, जिला-भिण्ड (म०प्र०)
2. नरेश सिंह पुत्र अरुण सिंह तोमर, उम्र-35 वर्ष,  
निवासी शिवाजी नगर, जिला-भिण्ड (म०प्र०)
3. कृष्णा उर्फ कृष्ण कुमार बौहरे पुत्र नेतराम बौहरे (फरार)
4. लक्ष्मण पुत्र उम्मेद सिंह तोमर (फरार) .....अभियुक्तगण

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्तगण द्वारा अधिवक्ता श्री नीरज श्रीवास्तव।

**-:: निर्णय ::-**

**(आज दिनांक 07 अक्टूबर 2017 को घोषित)**

1. अभियुक्तगण पिकू उर्फ वीर सिंह व नरेश सिंह पर भा०द०सं० की धारा 327 का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 03.06.2011 को रात्रि 8:00 बजे हरीराम बौहरे का फार्म हाउस लश्कर रोड, थाना देहात भिण्ड में फरियादी भारत सिंह से शराब पीने हेतु रुपये व मायनिंग से बीस हजार रुपये उद्यापित करने के प्रयोजन से उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
2. फरियादी भारत सिंह व उपस्थित अभियुक्तगण पिकू उर्फ वीर सिंह, नरेश सिंह के बीच पारस्परिक सहमति से समझौता हो जाने के आधार पर फरियादी भारत सिंह द्वारा अपराध का शमन किये जाने से अभियुक्तगण पिकू उर्फ वीर सिंह व नरेश सिंह को आदेश दिनांक 06.10.2017 से शमनीय शीर्ष के आरोप भा०द०सं० की धारा 294, 341 एवं 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है। यह निर्णय केवल अशमनीय शीर्ष के आरोप भा०द०सं० की धारा 327 के अपराध के संबंध में पारित किया जा रहा है।

3. अभियोजन मामला यह है कि फरियादी भारत सिंह (अ०सा० 1) दिनांक 03.06.2011 को अपनी मोटरसाईकिल धुलवाने सर्विस सेन्टर पर गया था, गेट पर अभियुक्त कृष्णा बौहरे (फरार) खड़ा था और उसने बातचीत के लिये अंदर बुलाया। अंदर लॉन में उपस्थित अभियुक्त पंकू उर्फ वीरसिंह, नरेश सिंह तोमर, फरार घोषित अभियुक्त लक्ष्मण सिंह मीट बना रहे थे, अभियुक्तगण ने फरियादी भारत सिंह से शराब लाने के लिये पैसे मांगे और कहा कि माइनिंग से 20,000/-रुपये दिलवाओ। जब फरियादी भारत सिंह ने मना किया तो अभियुक्तगण मां-बहन की अश्लील गाली देने लगे, अभियुक्त लक्ष्मण सिंह (फरार घोषित) ने सह-अभियुक्त कृष्णा बौहरे (फरार घोषित) से यह कहा कि अपनी बन्दूक लेकर आओ, इस पर अभियुक्त कृष्णा बौहरे (फरार घोषित) माउजर बन्दूक लेकर आया और माउजर बन्दूक सह अभियुक्त लक्ष्मण सिंह तोमर (फरार घोषित) को दे दी। अभियुक्त लक्ष्मण सिंह तोमर (फरार घोषित) ने फरियादी भारत सिंह के सीने पर बन्दूक लगा दी, छीना झपटी में फरियादी भारत सिंह ने माउजर बन्दूक की मैगजीन निकाल ली, इसी लड़ाई झगड़ा में फरियादी भारत सिंह की चेन टूट कर गिर गई, फरियादी भारत सिंह भाग कर गेट पर आ गया तो अभियुक्तगण ने उसका रास्ता रोक कर कहा कि आज तो बच गया आइन्दा जान से मार देंगे। मौके पर सुनील सिंह व कल्लू राठौर (अ०सा० 2) आ गये और उन्होंने घटना देखी थी। फरियादी ने छीनी गई बन्दूक की मैगजीन थाना देहात भिण्ड में पेश की और फरियादी की मौखिक सूचना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र०पी० 1) लेख की गई। मामले के अन्वेषण के दौरान नक्शा-मौका (प्र०पी० 2) बनाया गया, फरियादी से 315 बोर की लोहे की मैगजीन व दो जीवित कारतूस जप्त कर जप्ती पंचनामा (प्र०पी० 3) बनाया गया, गवाहों के कथन लिखे गये, अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया और अन्वेषण पूर्ण कर पुलिस रिपोर्ट क्रमांक 258/2011 दिनांक 12.12.2011 को न्यायालय में पेश की गई।

4. अन्वेषण के उपरान्त पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई धारा 173 दं०प्र०सं० की रिपोर्ट में अभियुक्त नरेश सिंह एवं लक्ष्मण सिंह तोमर को फरार दर्शाया गया था, अभियुक्त नरेश सिंह व लक्ष्मण सिंह तोमर के विरुद्ध आदेश दिनांक 12.12.2011 से स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया और पश्चात्तर्वर्ती प्रक्रम पर दिनांक 01.04.2014 को अभियुक्त नरेश सिंह तोमर उपस्थित हुआ जिसे दिनांक 16.06.2014 को जमानत पर रिहा किया गया। विचारण के दौरान अभियुक्त कृष्णा बौहरे अनुपस्थित हो गया, दिनांक 15.03.2017 को अभियुक्त कृष्णा बौहरे का प्रोडक्शन वारण्ट इस टीप के साथ वापस प्राप्त हुआ कि उसे जमानत पर भिण्ड जेल से छोड़ा जा चुका है, अभियुक्त कृष्णा बौहरे के अनुपस्थित होने से गिरफ्तारी वारण्ट जारी किये गये और आदेश

दिनांक 23.06.2017 से अभियुक्त कृष्णा उर्फ कृष्ण कुमार बौहरे को इस मामले में फरार घोषित कर स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।

5. अभियुक्तगण पिकू उर्फ वीर सिंह व नरेश सिंह तोमर ने आरोप अस्वीकार कर विचारण चाहा है। विचारण के दौरान फरियादी/आहत भारत सिंह (अ०सा० 1) व अभियुक्तगण पिकू उर्फ वीर सिंह, नरेश सिंह तोमर के बीच समझौता हो गया है और धारा 327 भा०दं०सं० के अशमनीय शीर्ष आरोप के संबंध में अभिलेख पर कोई आलिप्तकारक साक्ष्य न होने से अभियुक्त परीक्षण अंकित नहीं किया गया है। मामले में कोई बचाव साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गयी है।

6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह हैं कि—

“क्या अभियुक्तगण पिकू उर्फ वीर सिंह व नरेश सिंह तोमर ने दिनांक 03.06.2011 को रात्रि 8:00 बजे हरीराम बौहरे फार्म हाऊस लश्कर रोड, भिण्ड में फरियादी भारत सिंह से अवैध रूप से शराब के लिये पैसे मांगे एवं मायनिंग से बीस हजार रुपये की मांग कर उसके साथ झगड़ा कर संपत्ति उद्धापित करने के आशय से फरियादी भारत सिंह को स्वेच्छया उपहति कारित की?”

#### //निष्कर्ष के आधार//

7. फरियादी/आहत भारत सिंह कुशवाह (अ०सा० 1) का कथन है कि अभियुक्तगण पिकू सिंह व नरेश सिंह ने उसे गालियां दीं और फरार अभियुक्त कृष्णा बौहरे ने उसे बंदूक दिखायी। इस साक्षी का आगे कथन है कि उसने थाना देहात भिण्ड में घटना की रिपोर्ट की थी, प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र०पी० 1), घटनास्थल के नक्शा (प्र०पी० 2) व जप्ती पंचनामा (प्र०पी० 3) पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी ने न्यायालय के समक्ष कथन में अभियुक्त पिकू उर्फ वीर सिंह या अभियुक्त नरेश सिंह तोमर द्वारा शराब पीने के लिए पैसे मांगने या मायनिंग से बीस हजार रुपये दिलवाने के तथ्य का कोई कथन नहीं किया है और मारपीट के बारे में भी कोई कथन या मेडिकल साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है।

8. अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर फरियादी/आहत भारत सिंह (अ०सा० 1) ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त पिकू सिंह व नरेश सिंह ने उससे शराब पीने के लिए पैसे मांगे या मायनिंग से बीस

हजार रुपये दिलाने के लिए कहा और इसी बात पर से मारपीट की। इस साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र०पी० 1) के बी से बी भाग व अपने पुलिस कथन (प्र०पी० 4) के ए से ए भाग का स्पष्ट खण्डन किया है और यह तथ्य साबित नहीं है कि अभियुक्त पिकू उर्फ वीर सिंह या अभियुक्त नरेश सिंह तोमर ने संपत्ति उद्यापित करने के आशय से फरियादी भारत सिंह कुशवाह को स्वेच्छया उपहति कारित की।

9. साक्षी कल्लू उर्फ गजेन्द्र राठौर (अ०सा० 2) का कथन है कि दिनांक 03.06.2011 को अभियुक्त कृष्णा बौहरे (फरार घोषित) व फरियादी भारत सिंह के बीच बौहरे फॉर्म हाउस पर रात्रि 8-8:30 बजे झगड़ा हो रहा था। इस साक्षी का स्पष्ट कथन है कि अभियुक्त पिकू सिंह व नरेश सिंह का फरियादी भारत सिंह से कोई झगड़ा नहीं हुआ था। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त पिकू सिंह व नरेश सिंह ने फरियादी भारत सिंह से शराब पीने के लिए पैसे मांगे या मायनिंग से बीस हजार रुपये दिलवाने के लिए कहा या इसी कारण फरियादी भारत सिंह के साथ मारपीट की और अपने पुलिस कथन (प्र०पी० 5) का स्पष्ट खण्डन किया है।

10. पुलिस रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेजों में आहत/फरियादी भारत सिंह कुशवाह के मेडिकल परीक्षण के संबंध में कोई एम०एल०सी० संलग्न नहीं है, ऐसा भी कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है कि फरियादी भारत सिंह कुशवाह को उपहति कारित हुयी है। यह स्थापित विधि है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं में कोई सारभूत साक्ष्य नहीं है और इसका उपयोग सूचनकर्ता के न्यायालय के समक्ष कथन की पुष्टि या खण्डन हेतु ही सुसंगत है। इस मामले में सूचनाकर्ता भारत सिंह कुशवाह (अ०सा० 1) ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में इस तथ्य का स्पष्ट खण्डन किया है कि अभियुक्त पिकू सिंह व अभियुक्त नरेश सिंह ने उससे रुपये मांगे या रुपये न देने के कारण ही उसके साथ मारपीट की गयी और प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र०पी० 1) के बी से बी भाग पर लेख तथ्य का स्पष्ट खण्डन किया है। उक्त परिस्थिति में मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र०पी० 1) में लेख तथ्य के आधार पर किसी भी दशा में अभियोजन का मामला साबित नहीं होता है और साक्ष्य सूची में नामित पुलिस साक्षीगण या अन्य औपचारिक साक्षीगण को परीक्षित किये जाने से भी मामले का परिणाम अप्रभावित ही रहता है।

11. अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य की उक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं पूर्वगामी कारणों से अभियोजन यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में

विफल रहा है कि अभिकथित घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त पिकू सिंह उर्फ वीर सिंह व नरेश सिंह तोमर ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे या मायनिंग से रुपये दिलाने के लिए कहा या संपत्ति उद्धापित करने के प्रयोजन से फरियादी भारत सिंह कुशवाह के साथ मारपीट कर उपहति कारित की है। परिणामतः उपस्थित अभियुक्त पिकू उर्फ वीर सिंह व आज अनुपस्थित अभियुक्त नरेश सिंह तोमर को भा०दं०सं० की धारा 327 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

12. अभियुक्त पिकू उर्फ वीर सिंह व नरेश सिंह तोमर जमानत पर हैं, उन्हें इस मामले से स्वतंत्र किया गया और अभियुक्त पिकू उर्फ वीर सिंह के पूर्व के जमानत व मुचलके उन्मोचित किये गये। अभियुक्त पिकू उर्फ वीर सिंह की ओर से आज प्रस्तुत जमानत एवं मुचलके धारा 437-ए द०प्र०सं० के अनुशरण में आगामी छः माह तक प्रभावी रहेंगे और आज अनुपस्थित अभियुक्त नरेश सिंह तोमर के पूर्व के जमानत व मुचलके आगामी छः माह तक प्रभावी रहेंगे।

13. अभियुक्त पिकू उर्फ वीर सिंह इस मामले में दिनांक 05.06.2011 से दिनांक 06.06.2011 तक कुल 02 दिवस निरोध में रहा है और अभियुक्त नरेश सिंह तोमर दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 16.06.2014 तक कुल 77 दिवस निरोध में रहा है। निरोध की उक्त अवधि के संबंध में धारा 428 दं०प्र०सं० का प्रमाण पत्र पृथक से तैयार किया जाये जो निर्णय का भाग होगा।

14. प्रकरण में सह अभियुक्त कृष्णा उर्फ कृष्ण कुमार बौहरे व लक्ष्मण सिंह फरार हैं, अतः जप्त संपत्ति के संबंध में कोई आदेश नहीं किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मेरे बोलने पर टंकित किया गया।  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
जिला-भिण्ड

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
जिला-भिण्ड